न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 47/2020

1. सरदारा पुत्र श्योनारायण आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा केनरा बैंक जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1166 निर्णय दिनांक 17/8/2020 वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) निर्णय द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली

निर्णय दिनांक 21.9.20

अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 1166 निर्णय दिनांक 17/8/2020 वाके ग्राम खेडकी वीरभान द्वारा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया है। उक्त नामान्तरकरण से रूष्ठ होकर जरिये वकील नामान्तरकरण संख्या 1166 के विरूद्व अपील निम्मन भांति पेश की हैं :–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 479/1.41 है. वाके मौजा खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सह खातेदार है। उक्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में होने के कारण सभी सहखातेदारों को समुचित प्रक्रिया अपनाने के बाद प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कोटपूतली ने दिनांक 05/8/2020 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की 90क और राजस्थान अभिकृति अधिनियम की धारा 63 ओर तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार इस भूमि पर अभिकृति अधिकार निर्वाचित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश प्रदान कर आदेश क्रमांक MPK-2020/489 दिनांक 05/8/2020 पारित किया ।
2. यह है कि प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा आदेश दिनांक 05/8/2020 को ही आदेश क्रमांक MPK-2020/489 दिनांक 05/8/2020 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के लिए तहसीलदार कोटपूतली को जारी किये तथा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 17/8/2020 को तहसीलदार कोटपूतली ने अपने पत्रांक 547 द्वारा पटवारी हल्का को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु पत्र जारी किये गये ।
3. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मीलीभगत कर के रेस्पोटेन्ट संख्या 3 के पक्ष में उक्त भूमि में अपने हिस्से को रहन कर दिया रेस्पोडेन्ट संख्या 02 चाहता है कि इस भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का से मिलीभगत कर एक ही दिन में 17/8/2020 को ही नामान्तरकरण संख्या 1166 दर्ज करवार कर स्वीकार करा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पहले से ही यह जानकारी थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत् कार्यवाही विचारधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने के बजाय उक्त भूमि की खातेदारी नगरपालिका के नाम ही की जानी चाहिए थी ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण गैर कानूनी व निरस्तनीय है।
4. यह है कि पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार सहित सभी ने मिली भगत कर एक ही दिन में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया । दिनांक 17/8/2020 को [illegible] ही दिन में ... रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत [illegible] की मिली कार्यवाही पूरा करना यह स्पष्ट दर्शाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत [illegible]

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

भगत से यह कार्यवाही की गयी है ताकि नगरपालिका मण्डल द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवासीय पट्टा जारी ना कर सके।

5. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी कानूनी अनदेखी करके रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से मिलीभगत करके नामान्तरकरण संख्या 1166 दर्ज किया है जो कानून की दृष्टि से निरस्तनीय है । उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

6. यह है कि विवादित भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है तथा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली का नामान्तरकरण संख्या 1166 निर्णय दिनांक 11/8/2020 को निरस्त फरमाय जावें।

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की तामील व सूचना होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 केनरा बैंक शाखा कोटपूतली की ओर से श्री जगदीप शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया।

8. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में जवाब पेश ना कर सीधी बहस के लिए सहमत होने पर बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 479/1.41 है0 वाके मौजा खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सह खातेदार है। उक्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा वर्तमान में आवासीय उपयोग उपभोग किया जा रहा है। सह खातेदारों की समूचित प्रक्रिया अपनाने के बाद प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क और राजस्थान अभिकृति अधिनियम की धारा 63 और नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त भूमि पर अभिकृति अधिकार निर्वाचित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आदेश प्रदान कर आदेश क्रमांक NPK-2020/489 दिनांक 05/8/2020 पारित किया उसी दिन दिनांक 05/8/2020 को ही राजस्व रिकॅार्ड में अमल दरामद हेतु उक्त आदेश तहसीलदार को जारी किया। तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक 547 दिनांक 17/8/2020 के द्वारा पटवारी हल्का को अमल दरामद हेतु लिखा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को पहले से ही भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत् कार्यवाही चलने की जानकारी थी इसके बावजूद भी उक्त कार्यवाही विचाराधीन होते रेस्पोडेन्ट संख्या 01व 02 ने मिलीभगत कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1166 रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम रहन का दर्ज करा लिया, जबकि उक्त भूमि की खातेदारी नगरपालिका मण्डल के नाम होनी चाहिए थी एक ही दिन में समस्त कार्यवाही को पूरा करना स्पष्ट दर्शाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा मिलीभगत कर उक्त नामा. की कार्यवाही की है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण गैर कानूनी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा कानूनी अनदेखी करके रेस्पोडेन्ट संख्या 02 मिलकर उक्त नामा. सं. 1166 दर्ज किया गया है वह कानूनी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम खेडकी विरभान तहसील कोटपूतली का नामान्तरकरण 1166 निर्णय दिनांक 17/8/2020 को निरस्त फरमावें।

9. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 03 शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा कोटपूतली जिला जयपुर की ओर से वकील उपस्थित होकर अपनी बहस में कथन किया है कि आवेदक लक्ष्मण पुत्र श्योनारायण जाति जाट ग्राम खेडकीवीरभान द्वारा राजस्व विभाग से नियमानुसार समस्त कार्यवाही करायी जाकर आवश्यक पत्रादि/रिकॅार्ड प्रस्तुत कर आवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को केनरा बैंक से ऋण (लोन) दिया गया है। इसी अनुसार रहननामा का नामान्तरकरण 1166 वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली का दिनांक 17/8/2020 को स्वीकार हुआ है। उक्त नामा. रहन नामा का दर्ज हुआ है। इसको अपास्त किया जाना न्यायोचित नही है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा बैंक से ऋण की राशि प्राप्त कर ली है। यदि उक्त रहननामा का नामान्तरकरण अपास्त किया जाता है तो बैंक को अकथनीय हानि होगी यदि न्यायालय उचित समझे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हिस्से को जो बैंक के नाम रहन दर्ज है उसे छोडकर नामा. सं. 1166 आंशिक अपास्त किया जाता है तो बैंक को इस बावत कोई आपत्ति नही है।

10. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य एवं सबूतों का परिक्षण किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन करने से पाया कि नामा.सं. 1166 वाके मौजा खेडकी वीरभान का तहसीलदार द्वारा दिनांक 17/8/2020 को रहननामा का स्वीकार किया है। राजस्व रिकॅार्ड के अवलोकन से

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 02 उक्त भूमि के मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076 से सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर मे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लक्ष्मण पुत्र श्योनारायण का नोशन शेयर हिस्सा 715793 / 2492175 है जो अपना सम्पूर्ण हिस्सा केनरा बैंक शाखा कोटपूतली के रहन दर्ज रिकॉर्ड है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस मे कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क व अभिकृति अधिनियम धारा 63 ओर तदधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अनुसार इस भूमि पर अधिकार निर्वापित करके आवासीय उपयोग के लिए अनुज्ञा प्रदान दिनाक 05 / 8 / 2020 की गयी थी इसी दिन 05 / 8 / 2020 को ही तहसीलदार को आदेश क्रमांक NPK-2020 / 489 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे अकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को जारी किया गया था। तहसीलदार को भी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु पत्रांक 547 द्वारा पटवारी को लिखा गया था। इस प्रकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के तहत् कार्यवाही होते हुए भी एक ही दिन में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कानून की अनदेखी करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत करके उक्त नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकार कर दिया गया जो कानून की दृष्टि से चलने योग्य नही है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उक्त भूमि नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करना चाहिए था इसलिए उक्त नामान्तरकरण अपास्त किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 केनरा बैंक की ओर से उनके वकील का अभिकथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने राजस्व विभाग से ऋण लेने की नियमानुसार समस्त कार्यवाही अपनायी जाकर आवश्यक पत्रादि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने तथा बैंक को ऋण लेने हेतु आवेदन करने पर बैंक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को उनके हिस्से पर नियमानुसार बैंक द्वारा ऋण (लोन) दिया है इसी के अनुसार उक्त नामान्तरकरण 1166 रहननामा का राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हिस्से 715793 / 2492175 जो केनरा बैंक के नाम रहननामा दर्ज रिकॉर्ड है उसको छोडकर उक्त नामान्तरकरण 1166 वाके मौजा खेडकी वीरभान को अपास्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1166 वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 17 / 8 / 2020 को स्वीकार किया है। तहसीलदार कोटपूतली को उक्त नामा को तस्दीक करने से पूर्व राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क की कार्यवाही विचाराधीन रहते उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल द्वारा अभिकृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के आदेश पारित कर दिनांक 05 / 8 / 2020 को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा गया था। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धार 90क के तहत् कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए रेस्पांडेन्ट 01 लगायत 03 द्वारा एक ही दिन में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1166 वाके मौजा खेडकी वीरभान का रहननामा का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया है जो न्यायोचित उचित प्रतीत नही होता है। वकील रेस्पांडेन्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत बहस से जाहिर किया है कि केनरा बैंक के नाम रहननामा का नामान्तरकरण उक्त नामा दर्ज हुआ है। उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का हिस्सा जो केनरा बैंक के नाम रहननामा दर्ज रिकॉर्ड है उसको छोडते हुए नामान्तरकरण संख्या 1166 अपास्त किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण आंशिक रूप से अपास्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामा सं 1166 वाके मौजा खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनाक 17 / 8 / 2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का हिस्सा जो राजस्व रिकॉर्ड म केनरा बैंक के रहन दर्ज है उसको छोडते हुए अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि शेष बची भूमि को नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी जाकर नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करे।

12 निर्णय आज दिनांक 21.9.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)